

To,

Date: 20/09/2019

Principal Chief Conservator of Forest

Cum FCA Nodal Officer,

Jhalana Institutional Area

Aranaya Bhawan, Jaipur (Rajasthan)

Subject: Compliance Report of EDS Letter regarding Forest diversion Proposal No. **FP/RJ/ROAD/41266/2019.**

Ref: EDS letter no. F14 () 2018/FCA/PCCF/EDS-I dated 16.08.2019

Dear Sir,

With reference to above mentioned Subject, we have received the EDS vide above cited letter regarding Forest Diversion Proposal **"Construction of Toll Plaza Between Km. 115.00 to Km. 116.00 at Delhi-Jaipur Section of NH-8, District-Alwar, Rajasthan"**.

We have incorporated all the comments and uploaded the required document on **MoEFCC** Web portal for your reference and further processing please.

Point Wise Compliance Report:

Point No.	EDS Observation by Forest Department	Reply by User Agency
1	यूजर एजेन्सी द्वारा पूर्व में प्रेषित स्वीकृत/अस्वीकृत प्रस्तावों का विवरण नहीं दिया गया जबकि उक्त प्रकरण में पूर्व में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी हुई है विवरण संलग्न करे।	प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा पूर्व में प्रेषित स्वीकृत/अस्वीकृत प्रस्तावों का विवरण संलग्न कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में पूर्व में 2.852 है० की सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी हुई थी तो वर्तमान प्रस्ताव 0.024 है० का क्यों प्रस्तुत किया गया है। कारण स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।	प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसार वांछित वनक्षेत्र को संशोधित कर दिया गया है।
3	पूर्व प्रस्ताव में गैर वन भूमि दर्ज थी तो वर्तमान में गैर वन भूमि का विवरण क्यों संलग्न नहीं किया गया है।	प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा गैर वन भूमि का विवरण संलग्न कर दिया गया है।
4	यूजर एजेन्सी द्वारा KML file, DGPS map & GT Sheet map 0.024 है० अनुसार संलग्न किये गये है। जबकि इसे पुराने आवेदित वन क्षेत्र 2.852 है० के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।	प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा KML file, DGPS map & GT Sheet map 2.852 है० वन क्षेत्र के अनुसार संशोधित कर अपलोड कर दिये गये है।
5	यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव की औचित्यता में पुराने प्रस्ताव का विवरण एवं जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना नहीं करने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। जो प्रस्तावित है।	प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा प्रस्ताव की औचित्यता में पुराने प्रस्ताव का विवरण एवं जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना ना करने का कारण अपलोड कर दिया गया है।
6	यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में प्रत्यावर्तित वन भूमि के बराबर गैर वन भूमि दिये जाने के संबंध में Not applicable दर्ज किया गया है जिसका कारण अंकित नहीं किया गया है प्रस्ताव में गैर वन भूमि दिये जाने का कारण अंकित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रयोक्ता अभीकरण भारत सरकार का उपक्रम है अतः गैर वन भूमि की जगह दुगुनी अवन्त वन भूमि पर क्षतिपुरक वृक्षा रोपण करने का प्रावधान है। एवं इस संदर्भ में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
7	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न नहीं की गई है।	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न कर दी गई है।
8	पूर्व प्रस्ताव में सम्मिलित सड़क एवं प्रस्तावित प्रोजेक्ट को एक नक्शे में अंकित कर प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।	पूर्व प्रस्ताव में सम्मिलित सड़क एवं प्रस्तावित प्रोजेक्ट को नक्शे में अंकित कर पार्ट 1 में अतिरिक्त दस्तावेजों में अपलोड कर दिया गया है।

परियोजना निदेशक / Project Director

भारतप्रा, प.काई / NHAI PIU, Jaipur

9	प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न नहीं है।	प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न कर दि गई है।
10	राजस्व मेप पर प्रस्ताव का अंकन नहीं किया गया है।	राजस्व मेप पर प्रस्ताव का अंकन कर मेप पार्ट 1 में उपलोड कर दिया गया है।
11	यूजर एजेन्सी द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेज 0.024 है0 के अनुसार प्रस्तुत किये गये है जबकि प्रस्ताव का प्रस्तावित वन क्षेत्र 2.852 है0 है समस्त दस्तावेज संशोधित वन क्षेत्र के अनुरूप प्रस्तावित किया जाना प्रस्तावित है।	समस्त दस्तावेज 2.852 है0 वन क्षेत्र के अनुसार संशोधित कर उपलोड कर दिये गये है।
12	यूजर एजेन्सी पूर्व में प्रेषित किये गये प्रस्ताव के बाद वन क्षेत्र में अन्य कार्य किया गया है अथवा नहीं स्पष्ट टिप्पणी करे यदि कार्य किया गया है तो उसे भी प्रस्ताव में शामिल करे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति के पुर्व ही निर्माण कार्य कर लिया गया था एवं उसके उपरान्त ही सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त कि गई थी।
13	प्रस्ताव में पूर्व में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना नहीं किये जाने के कारण स्पष्ट करते हुए नवीन ऑनलाईन प्रस्ताव को विचार करने के अनुरोध का पत्र संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में पूर्व में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना नहीं की गई है इस कारण से सैद्धान्तिक स्वीकृति निरस्त कर दी गई है अतः प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नवीन प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। आप से अनुरोध है की नवीन स्वीकृती प्रदान करने बाबत इस प्रस्ताव पर पुनः विचार किया जायें। अनुरोध पत्र संलग्न है।

Place: Jaipur

Date: 20.09.2019

परियोजना निदेशक / Project Director
 Signature of User Agency
 Office Seal